रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 166] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 4, 2003/चैत्र 14, 1925
No. 166] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 4, 2003/CHAITRA 14, 1925

वित्त मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2003

**सा.का.नि. 303(अ).**—केन्द्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 9 के साथ पठित धारा 63 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है; अर्थात् :—

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का चयन) नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. परिभाषाएं :**—(1) इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) 'अधिनियम' से प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) अभिप्रेत है;

(ख) 'आयोग' से अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग अभिप्रेत है;

(ग) 'समिति' से नियम 3 के उपनियम (1) के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं है और प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) में परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।

**3. समिति का गठन :**—(1) केन्द्रीय सरकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के चयन के लिए एक समिति का गठन करेगी।

(2) समिति केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी,—

(क) एक व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहा हो या किसी संसद् के अधिनियम के अधीन स्थापित या गठित किसी अधिकरण का सेवानिवृत्त अध्यक्ष हो या पारंगत विधिवेत्ता हो या पांच वर्ष या उससे अधिक के लिए ज्येष्ठ अधिवक्ता रहा हो; .................................. सदस्य,

(ख) एक व्यक्ति, जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, अर्थव्यवस्था, कारबार, वाणिज्य या उद्योग में विशेष ज्ञान रखता हो और पच्चीस वर्ष या उससे अधिक का वृत्तिक अनुभव रखता हो; .............................. सदस्य,

(ग) एक व्यक्ति जो लेखा कर्म, प्रबंधन, वित्त, लोक कार्यकलाप या प्रशासन में विशेष ज्ञान और पच्चीस वर्ष या उससे अधिक का वृत्तिक अनुभव रखता हो; .............................. सदस्य,

(3) केन्द्रीय सरकार समिति के सदस्यों में से एक सदस्य को समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नामनिर्देशित करेगी।

(4) वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय (कम्पनी कार्य विभाग) में प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) से संबंधित संयुक्त सचिव समिति का संयोजक होगा।

(5) उपनियम (1) के अधीन गठित समिति की अवधि इसके गठन से एक सौ बीस दिन की होगी।

**4. समिति के कृत्य :**—(1) जब कभी आयोग में अध्यक्ष या किसी सदस्य की रिक्तियां विद्यमान हैं या उद्‌भूत होती हैं या उद्‌भूत होने की संभावना है, तब केन्द्रीय सरकार भरी जाने वाली रिक्तियों की बाबत समिति को निर्देश कर सकेगी।

(2) समिति आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य के चयन के प्रयोजन के लिए अपनी प्रक्रिया बनाएगी।

(3) समिति ऐसी प्रत्येक रिक्ति की बाबत, जो समिति को निर्दिष्ट की गई है, एक व्यक्ति या तीन व्यक्तियों से अनधिक के ऐसे पैनल की पूर्विकता दर्शाते हुए, जो समिति ठीक समझे, सिफारिश करेगी।

(4) समिति नब्बे दिन से अनधिक की अवधि के भीतर केन्द्रीय सरकार को अपनी सिफारिशें करेगी।

(5) यदि समिति के सदस्यों के बीच अपनी सिफारिश करने में मतभेद हैं तो भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य के चयन की सिफारिश समिति के सदस्यों के बहुमत से विनिश्चित की जाएगी।

**5. रिक्ति आदि से समिति की कार्यवाइयों का अविधिमान्य न होना :**—समिति का कोई कार्य या प्रक्रिया समिति में किसी रिक्ति के कारण ही अविधिमान्य नहीं होगी।

[फा. सं. 1/6/2003-सी एल-V]

राजीव महर्षि, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Company Affairs)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th April, 2003

**G.S.R. 303(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 63 read with Section 9, of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Competition Commission of India (Selection of Chairperson and other Members of the Commission) Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Definitions.**—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) 'Act' means the Competition Act, 2002 (12 of 2003);

(b) 'Commission' means the Competition Commission of India established under Sub-section (1) of Section 7 of the Act;

(c) 'Committee' means the committee constituted under Sub-rule (1) of rule 3.

(2) Words and expressions used but not defined in these rules and defined in the Competition Act, 2002 (12 of 2003) shall have the same meaning assigned to them in that Act.

**3. Constitution of committee.**—(1) The Central Government shall constitute a Committee for the selection of Chairperson and other Members of the Commission.

(2) The Committee shall consist of,—

(a) a person, who has been a retired judge of the Supreme Court or a High Court or a retired Chairperson of a Tribunal established or constituted under an Act of Parliament or a distinguished jurist or a Senior Advocate for five years or more; .................................. Member,

(b) a person who has special knowledge of, and professional experience of twenty-five years or more in international trade, economics, business, commerce or industry;.................................. Member,

(c) a person who has special knowledge of, and professional experience of twenty-five years or more in accountancy, management, finance, public affairs or administration;.................................. Member,

to be nominated by the Central Government.

(3) The Central Government shall nominate one of the Members of the committee to act as the Chairperson of the committee.

(4) The Joint Secretary in the Ministry of Finance and Company Affairs (Department of Company Affairs) dealing with the Competition Act, 2002 (12 of 2003) shall be the Convenor of the committee.

(5) The term of the committee constituted under sub-rule (1) shall be for a period of one hundred and twenty days from the date of its constitution.

**4. Functions of Committee.**—(1) As and when vacancies of Chairperson or a member in the Commission exist or arise, or are likely to arise, the Central Government may make a reference to the committee in respect of the vacancies to be filled.

(2) The committee shall devise its own procedure for purpose of the selection of the Chairperson or a Member of the Commission.

(3) The committee shall recommend a person, or a panel of not more than three persons in order of priority, as the committee may think fit, in respect of each vacancy that has been referred to the committee.

(4) The committee shall make its recommendations to the Central Government, within a period not exceeding ninety days.

(5) If the members of the committee differ in making its recommendation, the recommendation of selection of the Chairperson or a member of the Competition Commission of India shall be decided by the majority of the members of the committee.

**5. Vacancy, etc., not to invalidate proceedings of the Committee.**—No act or procedure of the committee shall be invalid merely by reason of any vacancy in the committee.

[F. No. 1/6/2003-CL. V]

RAJIV MEHRISHI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.